

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2015

क्रमांक एफ-16-24/2014/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-


1. मेसर्स आयनॉक्स विंड लिमिटेड, की विंड टरबाईन्स निर्माण संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अन्तर्गत निम्ननुसार सुविधाएँ दी जावें-

- (1) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों हेतु।
- (2) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 07 वर्षों हेतु।
- (3) रियायती दरों पर भूमि आवंटन- अधिकतम 15 एकड़ भूमि हेतु।

2. विद्युत शुल्क से छूट-उर्जा विभाग के अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में किये गये प्रावधान अनुसार विद्युत शुल्क से छूट शर्तों के अधीन प्रदान की जावे।

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग